

# कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 532 P.R / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितकरण करने के संबंध में।

आदेश  
का  
क०सं०एवं  
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश प  
की गई  
कार्रवाई  
बारे में

21/08/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती सुशीला पांडे पिता/पति एच. चैतन पांडे

मौजा मोरा थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी-II पृष्ठ संख्या-

में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 19 / 02-03 के आधार पर दर्ज है।

जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के अनुसूचित जाति के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

## भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>मोरा</u>	<u>262</u>	<u>142</u>	<u>150</u>	<u>0.05 एकड़</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 31/08/2020 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी  
अड़की।




31/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती सुदीप्य पांडे  
..... पिता/पति सुजय पांडे मौजा-वारंगी थाना-अड़की,  
जिला-खूँटी के नाम से मौजा-वारंगी थाना नं० 262 खाता सं० 142  
प्लॉट सं० 150 रकबा- 0.05 एकड़ लगान 0.18 रुपये अलावे  
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती है

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-वारंगी  
..... थाना नं० 262 के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-..... पर  
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है  
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।